

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-76/2019 परि०.....

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक

विषय:- M/S TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT. LTD. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT. LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune एवं ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	Toyota Fortuner	CAON 0328/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier)-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
2	Toyota Fortuner	CAON 0329/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier)-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
3	Toyota Fortuner	1. Fortuner Sigma 4	CAON 0330/20.12.2019 CAON 0331/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier)-M1 & MIG	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
4	Innova Crysta 2.7 G	1. Innova Crysta 2.7 V 2. Innova Touring Sport (Gasoline MT) 3. Innova Crysta 2.7 G (FLT)	CAON 0336/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier) & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
5	Innova Crysta 2.7 G	1. Innova Crysta 2.7 Z 2. Innova Touring Sport (Gasoline AT)	CAON 0332/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier) & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
6	Innova Crysta	1. Innova Crysta G 2. Innova Crysta 2.4 G 3. Innova Crysta 2.4 V 4. Innova Crysta 2.4 Z 5. Innova Touring Sport (Diesel 5MT) 6. Innova (FLT) 7. Innova Crysta G (FLT) 8. Innova Crysta 2.4 G (FLT) 9. Innova Crysta 2.4 V (FLT) 10. Innova Crysta 2.4 V (Diesel 6MT) 11. Innova Touring Sport (Diesel 6MT)	CAON 0333/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier) & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
7	Innova Crysta 2.4 G	1. Innova Crysta 2.4 Z 2. Innova Touring Sport (Diesel AT)	CAON 0335/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier) & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
8	Toyota Vellfire Hybrid	AAOH 0221 E01/06.01.2020	Rigid (Passenger Car)-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।

7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निबंधन स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:-Authorised Signatory : M/S TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT. LTD., Budha Motors Private Limited, A/15, 2nd Floor, Luv Kush Tower, Exhibition Road, Patna-800001. को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :1050

पटना, दिनांक : 4/2/2020

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software में प्रविष्टि करने/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-76/2019 परि०.....1050

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक 4/12/2020

विषय:- M/S TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT. LTD. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT. LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune एवं ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	Toyota Fortuner	CAON 0328/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier)-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
2	Toyota Fortuner	CAON 0329/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier)-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
3	Toyota Fortuner	1. Fortuner Sigma 4	CAON 0330/20.12.2019 CAON 0331/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier)-M1 & M1G	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
4	Innova Crysta 2.7 G	1. Innova Crysta 2.7 V 2. Innova Touring Sport (Gasoline MT) 3. Innova Crysta 2.7 G (FLT)	CAON 0336/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier) & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
5	Innova Crysta 2.7 G	1. Innova Crysta 2.7 Z 2. Innova Touring Sport (Gasoline AT)	CAON 0332/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier) & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
6	Innova Crysta	1. Innova Crysta G 2. Innova Crysta 2.4 G 3. Innova Crysta 2.4 V 4. Innova Crysta 2.4 Z 5. Innova Touring Sport (Diesel 5MT) 6. Innova (FLT) 7. Innova Crysta G (FLT) 8. Innova Crysta 2.4 G (FLT) 9. Innova Crysta 2.4 V (FLT) 10. Innova Crysta 2.4 V (Diesel 6MT) 11. Innova Touring Sport (Diesel 6MT)	CAON 0333/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier) & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
7	Innova Crysta 2.4 G	1. Innova Crysta 2.4 Z 2. Innova Touring Sport (Diesel AT)	CAON 0335/20.12.2019	Station wagon (Passenger Carrier) & M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
8	Toyota Vellfire Hybrid	AAOH 0221 E01/06.01.2020	Rigid (Passenger Car)-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कंपनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।

7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निबंधन स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वसभाजन


विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना